



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 06 जून, 2024 / 16 ज्येष्ठ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

*Shimla, the 18th May, 2024*

**No. HHC/Admn.6(23)/74-XVII.**—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

declare the Additional District and Sessions Judge (II), Kangra at Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of the Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of Salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Rajesh Chauhan, Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala *w.e.f.* 22-05-2024 to 31-05-2024 with permission to suffix Gazetted holiday and Sunday falling on 01-06-2024 and 02-06-2024, respectively or till he returns from leave.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 16th May, 2024*

**No.HHC/Admn.6(23)/74-XVII.**—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge, Palampur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Dehra and also the Controlling Officer for the purpose of Salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Smt. Sapna Pandey, Additional District and Sessions Judge, Dehra *w.e.f.* 16-05-2024 to 25-05-2024 with permission to suffix Sunday falling on 26-05-2024 or till she returns from leave.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 15th May, 2024*

**No. HHC/Admn.6(23)/74-XVII.**—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge, Palampur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge (II), Shimla, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of Salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV

establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014-Administration of Justice" till the posting/joining of new Presiding Officer in the aforesaid Court.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 16th May, 2024*

**No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.**—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-ACJM, Court No. 1, Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge at Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of Salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014-Administration of Justice" till the posting/joining of new Presiding Officer in the aforesaid Court.

By order,

*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 15th May, 2024*

**No.HHC/Admn. 16(21)75-V.**—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Nitish Negi (HIM/124/2016), Ms. Kamlesh Kumari (HIM/151/2016), Ms. Kavita Kajal (HIM/56/2020), Sh. Manoj Sharma (HIM/418/2018) and Sh. Vivek Thakur (HIM/633/2022) Advocates as Oath Commissioners for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla, with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.*

**HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT****NOTIFICATION***Shimla- 4, the 05th June, 2024*

**No. VS/Estt./6-62/81-III.**—The Hon'ble Speaker, HP Vidhan Sabha on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of Sh. Sanjay Kumar, Personal Assistant to the post of Private Secretary in Level-16 of Pay Matrix *i.e.* Rs. 48700-154300 on regular basis with immediate effect.

2. On promotion he will remain on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of this Notification.

3. He will be entitled to exercise option for fixation of pay under provisions of the FR 22 within a period of one month from the date of issue of this Notification.

4. He will join on promotion within 15 days from the date of issue of this Notification failing which the promotion orders shall deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotion will be issued separately.

Sd/-  
Secretary,  
H.P. Vidhan Sabha.

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मीना देवी पुत्री श्री भीखम राम, गांव शरैरका, डाकघर झूलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1613/2024, दिनांक 16-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/6866, दिनांक 18-03-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) वोटर कार्ड, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका मीना देवी पुत्री श्री भीखम राम, गांव शरैरका, डाकघर झूलाड़ा, ग्राम पंचायत कुठेहड़, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-03-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मीना देवी पुत्री श्री भीखम राम, गांव शरैरका डाकघर झूलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 12-07-1988 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मीना देवी पुत्री श्री भीखम राम, गांव शरैरका, डाकघर झूलाड़ा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कुठेहड़ को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विमलो पुत्री श्री हीरा, गांव मंगोल, डाकघर झूलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश  
वादि्या।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1646/2024, दिनांक 19-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/8870, दिनांक 18-04-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) वोटर कार्ड, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) परिवार रजिस्टर नकल, (9) राशन कार्ड जिसमें आवेदिका विमलो पुत्री श्री हीरा, गांव मंगोल, डाकघर झूलाड़ा, ग्राम पंचायत कुठेहड़, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-04-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विमलो पुत्री श्री हीरा, गांव मंगोल, डाकघर झूलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-07-1974 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर

अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका विमलो पुत्री श्री हीरा, गांव मंगोल, डाकघर झूलाड़ा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कुठेहड़ को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

नीचो देवी पुत्री श्री बुधिया राम, गांव काहरेई, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनुई विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1672/2024, दिनांक 20-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/9062, दिनांक 19-04-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका नीचो देवी पुत्री श्री बुधिया राम, गांव काहरेई, डाकघर पुखरी, ग्राम पंचायत प्राहनुई, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका नीचो देवी पुत्री श्री बुधिया राम, गांव काहरेई, डाकघर पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 19-04-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नीचो देवी पुत्री श्री बुधिया राम, गांव काहरेई, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 20-05-1961 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका नीचो देवी पुत्री श्री बुधिया राम, गांव काहरेई, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनुई को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 :  
22 एन0टी0रीडर / 2023 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी / 2024 /

तारीख दायर :  
18-03-2024

निशा कुमारी पुत्री श्रवण कुमार, गांव टाटरू, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

निशा कुमारी पुत्री श्रवण कुमार, गांव टाटरू, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र में निशा कुमारी पुत्री श्रवण कुमार दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डूलाहर, पटवार वृत्त प्राहनुई, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम मनीषा कुमारी पुत्री श्रवण कुमार दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किसम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम मनीषा कुमारी पुत्री श्रवण कुमार की जगह मनीषा कुमारी उर्फ निशा कुमारी पुत्री श्रवण कुमार दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त प्राहनुई को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-04-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० :  
17/2024 ना० तह० वाचक उप-तहसील पुखरी/2023/

तारीख दायर :  
07-03-2024

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवी दास, गांव कियानी, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवी दास, गांव कियानी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का नाम परिवार रजिस्टर नकल, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक में नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवी दास दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त कियानी, उप-तहसील पुखरी में मेरे पिता का नाम श्री दास पुत्र श्री बदाणू दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के पिता का नाम श्री दास पुत्र श्री बदाणू की जगह दास उर्फ श्री देवी दास पुत्र श्री बदाणू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त कियानी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-05-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० :  
18/2024 ना० तह० वाचक उप-तहसील पुखरी/2023/

तारीख दायर :  
07-03-2024

अवनीश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, गांव बगोड़ी, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम



आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

अवनीश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, गांव बगोड़ी, परगना राजनगर, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन—पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, शिक्षा प्रमाण—पत्र में अवनीश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त कियाणी, उप—तहसील पुखरी में मेरा नाम अविनाश पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम अविनाश पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार की जगह अविनाश उर्फ अवनीश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त कियाणी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-05-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 :  
35 / 2024 ना0 तह0 वाचक उप—तहसील पुखरी / 2023 /

तारीख दायर :  
22-04-2024

रतीश पुत्र श्री साहब सिंह, गांव व परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

रतीश पुत्र श्री साहब सिंह, गांव व परगना राजनगर, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन—पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शिक्षा प्रमाण—पत्र में रतीश पुत्र श्री साहब सिंह दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त राजनगर, उप—तहसील पुखरी में मेरा नाम सतीश पुत्र श्री साहब सिंह दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम सतीश पुत्र श्री साहब सिंह की जगह सतीश उर्फ रतीश पुत्र श्री साहब सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04-05-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 :  
28/2024 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2023/

तारीख दायर :  
08-04-2024

जगदीश चन्द पुत्र श्री देवी सिंह, गांव सनोग, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

जगदीश चन्द पुत्र श्री देवी सिंह, गांव सनोग, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड में जगदीश चन्द पुत्र श्री देवी सिंह दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल रूपणी, पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम जगदीश पुत्र श्री देवी सिंह दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र श्री देवी सिंह की जगह जगदीश उर्फ जगदीश चन्द पुत्र श्री देवी सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04-05-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० :  
26 / 2024 ना० तह० वाचक उप-तहसील पुखरी / 2023 /

तारीख दायर :  
02-04-2024

जगदीश चन्द पुत्र श्री सुखदेव, गांव भरडाहर, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

जगदीश चन्द पुत्र श्री सुखदेव, गांव भरडाहर, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक में जगदीश चन्द पुत्र श्री सुखदेव दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भरडाहर, पटवार वृत्त चकलू, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम जगदीश कुमार पुत्र श्री सुखदेव दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार पुत्र श्री सुखदेव की जगह जगदीश कुमार उर्फ जगदीश चन्द पुत्र श्री सुखदेव दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04-05-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि०प्र०)

श्री विशाल शर्मा पुत्र श्री शशीपाल पुत्र श्री राम, निवासी देवी देहरा, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम विशाल शर्मा है। उनका नाम ग्राम पंचायत ओसल आधार कार्ड में मेरा नाम विशाल शर्मा पुत्र श्री शशीपाल पुत्र श्री राम दर्ज है जो सही है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल कस्बा बाथरी, पटवार वृत्त बाथरी में मेरा नाम विशाल पुत्र श्री शशीपाल पुत्र श्री राम दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 10-06-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, तहसील सदर,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 11/2024

तारीख दायरा : 01-03-2024

तारीख फैसला : 22-06-2024

1. सुरेश कुमार, 2. चिराग पुत्रगण अजीत कुमार, 3. पारुल पुत्री श्री अजीत कुमार, 4. महेश कुमार पुत्र भूप सिंह, 5. उषा कुमारी पुत्री भूप सिंह, 6. मीना कुमारी पुत्री भूप सिंह, 7. सरला देवी विधवा भूप सिंह समस्त निवासी मकान नं0 24/1, जवाहर नगर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. अजीत कपूर पुत्र भूपेन्द्र सिंह, निवासी नियर सैन्ट्रल स्कूल, लोअर जवाहर नगर मण्डी शहर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0), 2. काका राम पुत्र आज्ञा राम पुत्र नामालूम, निवासी नियर सैन्ट्रल स्कूल, लोअर जवाहर नगर मण्डी शहर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0), 3. मिलखी राम पुत्र आज्ञा राम पुत्र नामालूम, निवासी नियर सैन्ट्रल स्कूल, लोअर जवाहर नगर मण्डी शहर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रत्यार्थी।

दरखास्त बराये दुरुस्ती इन्द्राज अधीन धारा 37 एवं 38 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

सुरेश कुमार आदि उपरोक्त वादीगण निवासी मकान नं0 24/1, जवाहर नगर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दावा दायर किया है कि भूमि खाता/खतौनी नं0 140/193, खसरा नं0 1149, रकबा तादादी 16.80 वर्ग मीटर स्थित महाल सुहड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में खाना काशत में प्रतिवादीगण उपरोक्त काका राम आदि किरायेदार मार्फत अजीत कपूर पुत्र भूपेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ किरायादार दर्ज है यह दुकान गैर मुमकिन दो मंजिला पक्का काफी अरसा से वादी के कब्जा में ही है। अतः प्रतिवादी को खाना किरायेदार से हटाया जाये।

प्रार्थना-पत्र में दुरुस्ती बारे प्रतिवादी व उसके सगे सम्बन्धियों तथा आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस दुरुस्ती बारे कोई उजर या

एतराज हो तो वह दिनांक 24-06-2024 को 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,  
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 152 / 2023

तारीख मरजुआ : 20-02-2023

तारीख पेशी : 07-06-2024

श्री मनोज कश्यप पुत्र शौंकिया राम, निवासी गांव मेहरावग, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण,  
जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नी रिखी राम, निवासी महाल कोलू जुब्बड, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्री दलीप पुत्र रिखी राम, निवासी कोलू जुब्बड, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 107 के अन्तर्गत निशानदेही हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता / खतौनी नं0 19/52 मिन, 27/60 मिन, खसरा नं0 206, 194, 28/194/1, रकबा तादादी 0-20-36 है0 मोहाल/मौजा कोलू जुब्बड, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र श्री मनोज कश्यप पुत्र शौंकिया राम, निवासी गांव मेहरावग, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 107 के अन्तर्गत निशानदेही हेतु खाता/खतौनी नं0 19/52 मिन, 27/60 मिन, खसरा नं0 206, 194, 28/194/1, रकबा तादादी 0-20-36 है0 मोहाल/मौजा कोलू जुब्बड, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें मौका निशानदेही की प्रक्रिया अमल में लाई जा चुकी है परन्तु प्रतिवादी नं0 1 व 2 मौका निशानदेही से सहमत न है। अतः प्रतिवादीगणों को अदालत हजा में हाजिर होने बारे समन जारी किए गए थे परन्तु हाजिर न हुए। अतः प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 1 व 2 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत निशानदेही बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखिततौर पर दिनांक 07-06-2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 15 / 24

तारीख दायर : 22-02-2024

अगली सुनवाई : 26-06-2024

श्री सुरत राम पुत्र स्व0 श्री श्याम दास, निवासी गांव बठारा, डाकघर शाहधार, उप-तहसील सराहन,  
जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

दरखास्त मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान ईश्वर लाल पुत्र स्व0 श्री श्याम दास अराजी खाता  
खतौनी नं0 117/247, 118/248, ता 249, 119/250, ता 252 व 116/244 ता 246 मोहाल मझगांव,  
उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

यह दरखास्त श्री सुरत राम पुत्र स्व0 श्री श्याम दास, निवासी गांव बठारा, डाकघर शाहधार,  
उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का भाई ईश्वर  
लाल पुत्र स्व0 श्री श्याम दास, गांव बठारा, डाकघर शाहधार, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)  
दिनांक 09-09-1988 को घर से लापता हुए। तब से लेकर व आज दिन तक वापिस नहीं आया जिस बारे  
पुलिस चौकी सराहन में वर्ष 1989 में अधिशाषी अभियन्ता भावा निर्माण विभाग भावानगर, जिला किन्नौर  
(हि0प्र0) द्वारा पुलिस चौकी सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) में इतलाह दर्ज किया गया था। उसके पश्चात्  
प्रार्थी व श्री ईश्वर लाल की पत्नी ने बहुत तलाश की परन्तु आज दिन तक कोई पता न चला है। न ही  
उसकी कोई चिट्ठी पत्र आया है। पुलिस चौकी सराहन में पुनः एफ0आईआर0 दिनांक 06-02-2024 को दर्ज  
किया गई। इलाके में भी उसे किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है। श्री ईश्वर लाल की पत्नी श्रीमती लीला ने  
अपने पति के लापता होने के बाद दूसरी शादी कर ली है और अपना नाम ग्राम पंचायत से नाम काट कर ले  
गई है। श्री ईश्वर लाल की कोई भी सन्तान नहीं है। प्रार्थी का भाई श्री ईश्वर लाल खाता नं0 117/247,  
118/248, ता 249, 119/250 ता 252 व 116/244 ता 246 मोहाल मझगांव के खाना मालिक में दर्ज  
कागजात माल है वादी के भाई को लापता हुए लगभग 35 वर्ष का समय हो गया है इसलिए वादी ने श्री  
ईश्वर लाल के जायज वारसान के हक में मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल तस्दीक करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति या श्री ईश्वर  
लाल प्रतिवादी यदि जीवित हो तो मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने  
बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 26-06-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति  
दर्ज करवा सकता है बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार  
मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायत वारसान के हक में तस्दीक करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 28-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 53 / 2022

तारीख मरजुआ : 10-06-2022

तारीख पेशी : 25-06-2024

श्रीमती रानी पुत्री श्री पूर्ण चन्द, निवासी मोहाल भखैल्टी, तहसील ठियोग, जिला शिमला मार्फत  
मुख्यारनामा आम श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा पुत्र स्व0 श्री राम गोपाल, निवासी हाउस नं0 242, विकास कुंज,  
विकास पुरी, न्यू दिल्ली। प्रार्थिया।

## बनाम

1. श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी गांव मूलकोटी, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
2. श्री महेश पुत्र स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
3. श्रीमती योगिता पुत्री स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
4. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
5. श्री भगत राम पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
6. श्री मान सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
7. श्रीमती बिच्छा देवी पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
8. श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
9. श्रीमती मीरा देवी पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
10. श्री रतन पुत्र स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
11. श्री जगदीश पुत्र स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
12. श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री भगत राम, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
13. श्रीमती निशा पुत्री स्व0 श्री भगत राम, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
14. श्रीमती हेम लता पुत्री स्व0 श्री भगत राम, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
15. श्रीमती स्नेहलता पुत्री स्व0 श्री भगत राम, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
16. श्रीमती किरण पुत्री स्व0 श्री भगत राम, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
17. श्री देवी दत्त पुत्र स्व0 श्री कृष्ण दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
18. श्री ध्रुव चौहान पुत्र स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
19. श्री हरी सिंह पुत्र स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
20. श्री मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
21. श्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
22. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
23. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
24. श्रीमती शकुन्तला पुत्री श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
25. श्रीमती उषा पुत्री स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
26. श्रीमती किरण पुत्री स्व0 श्री राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
27. श्रीमती शांति देवी पुत्री स्व0 राम दत्त, निवासी गांव/मोहाल कण्डा, डा0 मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 52/116, ता 118, कित्ता 13, रकबा तादादी 02-03-51, है0 मोहाल/मौजा कण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्रीमती रानी पुत्री श्री पूर्ण चन्द, निवासी मोहाल भखैल्टी, तहसील टियोग, जिला शिमला मार्फत मुख्तारनामा आम श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा पुत्र स्व0 श्री राम गोपाल, निवासी हाउस नं0 242, विकास कुंज, विकास पुरी, न्यू दिल्ली ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 52/116, ता 118, कित्ता 13, रकबा तादादी 02-03-51, है0 मोहाल/मौजा कण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 ता 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 22 ता 27 की तामील साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है।

अतः इशतहार द्वारा प्रतिवादी नं0 2 ता 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 22 ता 27 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखिततौर पर दिनांक 25-06-2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

### CHANGE OF NAME

I, Mahender Singh s/o Sansar Chand, r/o Village Near Vaishno Pangi Dhabha Manali, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) declare that my name wrongly entered as Mahinder Singh instead of Mahender Singh in my daughter's 10th & +2 Marksheet. Concerned note it.

MAHENDER SINGH  
s/o Sansar Chand,  
r/o Village Near Vaishno Pangi Dhabha Manali,  
P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Punam Rathour w/o Narvir Singh Rathour, r/o Royal Crest, Dhalli Sanjauli, Bye Pass Road, Shimla (H.P.) declare that in my daughter Rudrika Singh Rathour 10th, 10+2 CBSE certificate my name is wrongly written as Punam Singh Rathour whereas my actual name is Punam Rathour. All concerned may note.

PUNAM RATHOUR  
w/o Narvir Singh Rathour  
r/o Royal Crest, Dhalli Sanjauli  
Bye Pass Road, Shimla (H.P.).



“निर्वाचन विभाग”

अधिसूचना

शिमला-171009, 4 जून, 2024

संख्या 3-6/2024-ई.एल.एन.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए 18-धर्मशाला, 21-लाहौल और स्पीति (अ.ज.जा.), 37-सुजानपुर, 39-बड़सर, 42-गगरेट व 45-कुटलैहड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन-2024 के फलस्वरूप सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों द्वारा घोषित निर्वाचित सदस्यों के नाम उनकी दल सहबद्धता के साथ जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

मनीष गर्ग,  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH FROM  
18-DHARAMSHALA ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that **Sh. Sudhir Sharma, V.P.O. Rakkar, Tehsil Dharamshala, District Kangra, HP-176057, sponsored by Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by disqualification of Sh. Sudhir Sharma having been declared vacant.

Place : DHARAMSHALA  
Date : 04-06-2024

Sd/-  
Returning Officer,  
18-Dharamshala Assembly Constituency.

BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH FROM  
21-LAHAUL & SPITI (ST) ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that **Smt. Anuradha Rana, Village Rangcha, P.O. Koksar, Tehsil Lahaul, District Lahaul & Spiti, H.P. sponsored by Indian National Congress** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by disqualification of Sh. Ravi Thakur having been declared vacant.

Place : KEYLONG  
Date : 04-06-2024

Sd/-  
Returning Officer,  
21-Lahaul & Spiti (ST) Assembly Constituency.

---

BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH FROM  
37-SUJANPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that **Captain Ranjit Singh, Village Kachh, P.O. Bir-Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.-176110, sponsored by Indian National Congress** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by disqualification of Sh. Rajinder Rana having been declared vacant.

Place : SUJANPUR

Date : 04-06-2024

Sd/-  
*Returning Officer,*  
37-Sujanpur Assembly Constituency.

---

BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH FROM  
39-BARSAR ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that **Sh. Inder Dutt Lakhanpal, Village Kowa, P.O. Bhakreri, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H.P.-174305, sponsored by Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by disqualification of Sh. Inder Dutt Lakhanpal having been declared vacant.

Place : BARSAR

Date : 04-06-2024

Sd/-  
*Returning Officer,*  
39-Barsar Assembly Constituency.

---

BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH FROM  
42-GAGRET ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that **Sh. Rakesh Kalia, Ward No. 3, Village and P.O. Bhanjal, Shankar Nagar, Tehsil Ghanari, District Una, H.P., sponsored by Indian National Congress** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by disqualification of Sh. Chaitanya Sharma having been declared vacant.

Place : GAGRET

Date : 04-06-2024

Sd/-  
*Returning Officer,*  
42-Gagret Assembly Constituency.

---

BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH FROM  
45-KUTLEHAR ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that **Sh. Vivek Sharma (Vicku), Vill. & Post Office Barnoh, Tehsil Una, Distt. Una, H.P.-174303, sponsored by Indian National Congress** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by disqualification of Sh. Davinder Kumar Bhutto having been declared vacant.

Place : BANGANA

Date : 04-06-2024

Sd/-

*Returning Officer,  
45-Kutlehar Assembly Constituency.*

By order,

MANEESH GARG,  
*Chief Electoral Officer,  
Himachal Pradesh.*

